eISSN 3139-2377

RESEARCH WORK

A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal

Volume 02, Issue 07, July 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.21744859

भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों द्वारा गरीबी उन्मूलन के प्रयासों का अवलोकन

डॉ0 शत्रुघन[1]

[1]असिस्टेंट प्रोफेसर–शिक्षा संकाय, श्रीकृष्ण जनका देवी स्ना0 महा0 मंगलपुर, कानपुर देहात (उ0प्र0)

Received: 20 July 2026 Accepted & Reviewed: 28 July 2026, Published: 31 July 2026

Abstract

स्वतंत्रता के बाद के समय में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय सफलता हासिल की है। कृषि के क्षेत्र में हम एक समय आयात पर निर्भर थे अब हम केवल निर्यातक ही नहीं हैं बल्कि विश्व में खाद्यान्न के बड़े दाताओं में से एक हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, अन्तरिक्ष, संचार और सूचना प्रौद्योगिक जैसे क्षेत्रों में हमारी अग्रणी भूमिका है। इन सबके बावजूद विश्व स्तर पर सबसे अधिक गरीबी हमारे देश में है और इसलिए ग्राम विकास और गरीबी उन्मूलन निरन्तर हमारी राष्ट्रीय विकास नीति के प्रमुख ध्यानाकर्षण क्षेत्रों में से एक है। भारत में ग्राम विकास को मुख्यतः गरीबी उन्मूलन नीतियों के संदर्भ में पहचाना जाता है। शायद ही विश्व के किसी और देश ने गरीबी उन्मूलन पर इतना अधिक समय और संसाधन निवेश किए हैं और इतनी कम सफलता हासिल की होगी जितनी की भारत ने की है। 25 वर्ष से भी अधिक समय से 1973–74 से लेकर 2010–2011 तक गरीबी अनुपात अर्थात कुल आबादी में गरीबी की प्रतिशतता 55 से घटकर केवल 27 प्रतिशत तक ही पहुंच पाई है। यद्यपि गरीबी की समस्या की गम्भीरता और जटिलता को देखते हुए यह उपलब्धि कम नही है, लेकिन हकीकत यह है कि अन्य देशों, विशेष रूप से चीन और पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की तुलना में हमारा कार्य संतोषजनक नहीं है।

मुख्य शब्द : ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, कल्याणकारी योजनाएँ, बेरोजगारी, निर्धनता एवं स्वास्थ्य।

Introduction

गरीबी की रेखा ऐसी रेखा है जो गरीब के ऊपर से और अमीर के नीचे से निकलती है। यह परिभाषा किसी भी मायने में सैद्धान्तिक न हो परन्तु व्यावहारिक और जमीनी परिभाषा इससे अलग नही हो सकती है। वास्तव में गरीबी की रेखा के जरिए राज्य ऐसे लोगों के चयन की औपचारिकता पूरी करता है जो इससे ज्यादा अभाव में जी रहे हैं कि उन्हें रोज खाना नहीं मिलता है, रोजगार का मुद्दा तो सट्टे जैसा है, नाम मात्र को छप्पर मौजूद हैं या नहीं, कपड़ों के नाम पर कुछ चीथड़े वे लपेटे रहते हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें विकास की प्रक्रिया में घोषित रूप से सबसे बड़ी बाधा माना जाने लगा है। हालाँकि विकास का यह एक अहम् मापदण्ड भी है कि लोगों को गरीबी के दायरे से बाहर निकाला जाये इस दुविधा की स्थिति में लगातार संसाधन झोंके जाते हैं। दो दशकों में ग्रामीणों पर इस काम के लिए 45 हजार करोड़ रूपये व्यय किये गये हैं। परन्तु अध्ययन बताते हैं कि निर्धारित लक्ष्यों का 20 प्रतिशत हिस्सा ही हासिल किया जा सका है।

राज्य में रहने वाले विपन्न तबके की उन्नति के उद्देश्य से हर पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का सर्वेक्षण (बीपीएल सर्वे) कराया जाता रहा है। इस सर्वे के मूलतः दो व्यावहारिक उद्देश्य होते हैं। एक विगत पाँच वर्षों में राज्य में कितनी गरीबी कम हुई है? कौन अब गरीब नहीं रहा और कौन हैं जिनके नाम इस सूची में नये सिरे से जोड़े जाने हैं। यह सूची बहुत महत्वपूर्ण इसलिए

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 07, July 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.21744859

होती है क्योंकि इसी के आधार पर गरीब और आर्थिक रूप से अति कमजोर लोगों, निराश्रितों, वृद्धों और विधवा महिलाओं को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। वर्तमान में 12 योजनायें ऐसी हैं जो बीपीएल परिवार को ध्यान में रखकर ही संचालित की जा रही हैं जबकि 9 जनकल्याणकारी कार्यक्रम उनके हितों की रक्षा के लिए संचालित हो रहे हैं। विकासशील देशों में गरीबों का प्रतिशत विश्व बैंक द्वारा बिना किसी सर्वे के तय कर दिया जाता है। वह सम्बन्धित देश में कोई अध्ययन नहीं करता है। उसके अनुसार एक डालर प्रतिदिन से कम अर्जित करने वाला परिवार गरीबी की श्रेणी में आता है, इससे ज्यादा आय अर्जित करने वाला व्यक्ति अमीर होगा। कई अनुभवों से यह पता चलने के बावजूद कि 2 से 5 डॉलर प्रतिदिन में भी जीवन की बुनियादी जरूरतें पूर्ण नहीं हो सकती हैं, विश्व बैंक के मापदण्ड नहीं बदले हैं। मानव विकास प्रतिवेदन की अवधारणा लाने वाला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानता है कि आय के साथ बुनियादी शिक्षा, लोक संसाधनों तक पहुँच का अभाव और आय का मापदण्ड गरीबी को मापने के लिए जरूरी है।

गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों की पहचान ठीक से नहीं की जा रही है और इसके लिए मापदण्ड न तो एक से है न ही स्पष्ट है। इस शिकायत के मद्देनजर राज्य और केन्द्र सरकार को निर्देशित किया गया है कि वे प्रकरण को स्पष्ट करें तथा बीपीएल परिवारों की निष्पक्ष और प्रभावशाली पहचान के लिए नीति बनायें। प्रो0 एम0 रीन लिखते हैं कि ‘‘लोगों को इतना गरीब नहीं होने देना चाहिए कि उनसे घिन आने लगे या वे समाज के नुकसान पहुँचाने लगें। इस नजरिये से गरीबों के कष्ट और दुःखों का नहीं बल्कि समाज की असुविधाओं और लागतों का महत्व अधिक प्रतीत होता है। गरीबी की समस्या उसी सीमा तक चिन्तनीय है जहाँ तक कि उसके कारण, जो गरीब नहीं हों, उन्हे भी समस्यायें भुगतनी पड़ती हों।’’

प्रजातंत्र में राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से स्त्री शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। स्त्री को पुरूष के समान कर्तव्य निर्वाह तथा अधिकारों का उपभोग करने के समान अवसर तथा सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए। यदि स्त्री–पुरूषों के समान योग्य और शिक्षित हो तो यह अपने मतदान का सदुपयोग कर सकती हैं और राष्ट्र की, समाज की, परिवार की और व्यक्तिगत समस्याओं पर चिन्तन करके उनके हल प्रस्तुत कर सकती है।

हमारा देश भारत एक विकासशील देश है। अन्य विकासशील देश की भांति हमारे यहाँ भी अनेक प्रकार की राष्ट्रीय समस्यायें हैं। जैसे अशिक्षा, गरीबी, जनसंख्या, बेरोजगारी आदि किन्तु इन सबसे जो समस्या सर्वाधिक व्यथित करने वाली है वह है ”बेरोजगार की समस्या“। हालांकि बालश्रम निषेध हेतु संविधान में कानून बनाकर सरकार तो निश्चिन्त हो गयी किन्तु उसने यह कतई न सोचा होगा कि देश का भविष्य इस प्रकार से परिस्थितिवश इन कानूनों का उल्लंघन करते हुये देश के विकास में बाधक की भूमिका अदा करेगा। बालश्रम की यह बीमारी इतनी तीव्र है कि इसे हम घरेलू नौकर से लेकर फैक्ट्रियों, होटलों, ढाबों, ठेलों यहाँ तक कि कूडाघरों एवं हानिकारक रसायनयुक्त कारखानों, हीरों की कटाई व पटाखों आदि के निर्माण कार्य में संलग्न देख सकते हैं। यह बहुत दुःखद है कि अगर देश का भविष्य इस प्रकार असुरक्षित है तो हम अपने आप को सभ्य कैसे कह सकते हैं। बहुत सी सरकारी नीतियाँ इस विषय पर आयी कि कोई भी सकारात्मक परिणाम न दे सकी। इसका कारण स्पष्ट है कि भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, समेत अनेक विकासशील देशों में कई ऐसे परिवार हैं जो सामाजिक, आर्थिक आधार पर बहुत ज्यादा पिछड़े हैं। बहुत से परिवार आज भी दाने–दाने को मोहताज हैं और अपनी रोटी के जुगाड़ में घर के सभी छोटे–बड़े सदस्यों को कार्य करना पड़ता है। परिवारों का सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन बालश्रम का एक बहुत बड़ा

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 07, July 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.21744859

कारण है।

भारत के प्रथम **प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू** ने एक बार कहा था कि "मैं देश के हर बच्चे की आँखों में आने वाले हिन्दुस्तान की तस्वीर देखता हूँ।" पं. नेहरू की यह पंक्तियाँ तब भी महत्व रखती थी और आज भी। किन्तु समय के पड़ाव ने सब कुछ तो बदला लेकिन तस्वीर का धुंधलापन अभी समाप्त नहीं हो पाया। यह नकारात्मकता नहीं अपितु नग्न यथार्थ है जिसे चाहकर भी नकारना सच्चाई से मुँह चुराना ही होगा। बढ़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद बच्चों की स्थिति सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। बाल मजदूरी का महत्वपूर्ण घटक यह भी है कि बच्चे सस्ते होते हैं। बालश्रम उन्मूलन हेतु कुछ महत्वपूर्ण ठोस कदम उठाना जरूरी है अन्यथा भारत का भविष्य कूड़ाघरों व कारखानों तक ही सिमट कर दम तोड़ देगा।

गरीबी के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरकार की समझ, मान्यताओं और नीतियों ने निभाई है। इस अवस्था का हमेशा आर्थिक विपन्नता की मानसिकता से विश्लेषण किया गया, इसे केवल गरीबों से सम्बन्धित माना गया और इसे दूर करने के लिए आय (मजदूरी के अवसर बढ़ाने) में अस्थाई वृद्धि के प्रयासों की नीति अपनाई गई जिसका परिणाम यह हुआ कि इस अवस्था ने समाज में स्थाई रूप से जड़ें जमा ली। इसकी गम्भीरता को ज्यादा से ज्यादा नजरअंदाज करने की कोशिश की गई है।

भारत विशाल जनसंख्या वाला प्रजातान्त्रिक देश है; इसमें अनेकों जाति धर्म के लोग निवास करते है, कुछ की सामाजिक–आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के कारण उच्च स्थान पर है; और कुछ की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण यह वर्ग पलायन कर नगरों में रोजगार की तलाश में आकर बस जाते है। इनका निवास शहर के किसी गन्दी जगह पर होता है। इसे मलिन बस्ती के नाम से पुकारा जाता है। मलिन बस्तियाँ वस्तुतः बहुत सी जटिल समस्याओं का परिणाम है। इनमें निवास करने वाले विद्यार्थियों का मनोभाव आशावादी और निराशावादी दृष्टिकोण के साथ उनकी उपलब्धि पर, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, निवास स्थान और परिवेश का सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और व्यवसाय के चयन में उनकी वरीयता आशावादी और निराशावादी अभिवृत्ति के कितना निकट रहती है? उनकी पूर्ति के लिए, इनमें मानसिक दबाव उत्पन्न होता है।

अनुच्छेद 45 के अनुसारः जो कि अब मौलिक अधिकार 21(ए) के अन्तर्गत है। ''राज्य इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि के भीतर सब बालकों को चौदह वर्ष की अवस्था समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है।''

भारत में अनेक बच्चे 5 वर्ष की नाजुक उम्र से ही काम में लग जाते हैं। भारत में बाल मजदूरों की संख्या विश्व भर में सबसे अधिक है। इसका प्रमुख कारण माता–पिता में बच्चे के पालन–पोषण एवं भविष्य के प्रति लापरवाही, जागरूकता की कमी, बच्चों को सही मार्गदर्शन का अभाव, अत्यधिक गरीबी, विस्थापन, प्यार, संरक्षण एवं देखभाल की कमी, खाना, कपड़ा एवं शिक्षा की कमी इत्यादि है। अगर देखा जाए तो ये बच्चे जो कमा कर लाते हैं वह नं के बराबर होता है। लेकिन गरीब माँ–बाप को ये संतुष्टि रहती है कि उसका बच्चा कोई काम, हुनर या पेशा सीख रहा है जो उसके जीविकापार्जन के लिए काम आएगा। शुरू–शुरू में तो इन बाल मजदूरों को कुछ वेतन नहीं मिलता है। कितने ही बाल मजदूर कालीन बुनाई, दस्तकारी एवं शिल्पकला एवं माचिस उद्योग में बस एक वक्त खाना पाकर ही काम करते हैं। मालिक यह

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 07, July 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.21744859

कहकर काम लेते है कि काम में पारंगत होने पर उन्हें वेतन मिलेगा और इस तरह से शुरू होती है इनके अत्याचार एवं शोषण की कहानी।

आर्थिक विकास, गरीबी कम करने पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में दो विचारधाराएँ हैं। एक दृष्टिकोण यह है कि विकास की वृद्धि से गरीबी कम करने पर प्रभाव पड़ता है और उसी आधार पर यह आशा बनती है कि तेजी से बढ़ रहे राज्यों में गरीबी तेजी से तथा अन्य राज्यों में धीमी गति से घटेगी। इस विचारधारा के अनुसार विकास की दर को काफी गति पकड़नी पड़ेगी तभी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा गरीबी कम करने के लिए आय के अवसरों की उपलब्धता बढ़ेगी। इस समस्या का जन्म प्रायः पारिवारिक निर्धनता से होता है। हमारे देश में आज भी करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे रहकर अपना जीवनयापन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भरपेट रोटी भी बड़ी कठिनाई और अथक परिश्रम के बाद प्राप्त होती है। उनका जीवन अभावों से ग्रस्त रहता है। इन परिस्थितियों में उन्हें अपने बच्चों के भरण–पोषण में अत्यन्त कठिनाई उठानी पड़ती है तो उन्हें विवश होकर अपने बच्चों को काम–धन्धे अर्थात् किसी रोजगार में लगाना पड़ता है। इस प्रकार ये बच्चे असमय ही एक श्रमिक जीवन व्यतीत करने लगते हैं जिससे इनका प्राकृतिक विकास अवरूद्ध हो जाता है।

विकास सम्बन्धी अंतःक्षेपों की आवश्यकता– इसमें कोई शंका नहीं है कि भारत में गरीबी की समस्या एक प्रमुख चुनौती है और यदि हम राष्ट्र का सुदृढ़ बनाना चाहते हैं और विकसित देशों से होड़ करना चाहते हैं तो हमें अपनी विकास नीतियों में इसे प्राथमिकता देनी होगी। तालिका 1 और 2 से यह देखा जा सकता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी कुछ हद तक एक समान है लेकिन संख्या की दृष्टि से ग्रामीण भारत में शहरी आबादी की तुलना में गरीबों की संख्या तीन गुणा अधिक है। देश की लगभग तीन चौथाई आबादी गांवों में रहती है और इस प्रकार अधिकतर निर्धन गांवों में रहती है और इस प्रकार अधिकतर निर्धन गांवों में ही रहते हैं। इसलिए गांधी जी बार–बार कहा करते थे कि **''भारत गाँवों में बसता है और गाँवों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता।''**

वास्तव में स्वतंत्रता और प्रजातंत्र का सुख लोगों द्वारा तब तक नहीं भोगा जा सकता जब तक उन्हें गरीबी के बंधनों से मुक्त नहीं करवाया जाता। शुरू में यह सोचा गया था कि जब विकास की प्रक्रिया शुरू होगी तो सभी लाभ पहुंचाने वाले प्रभाव या ट्रिकल डाउन प्रभाव से गरीबी की समस्या का समाधान होगा। इस प्रक्रिया ने ऐसे देशों में तो उपलब्धि हासिल की जिनमें उद्योग और सेवा क्षेत्र ने तेजी से विकास किया और इस तरह वे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ गये। लेकिन भारत जैसे देश में विभिन्न कारणों से यह विधि कारगर सिद्ध नही हुई। इसके कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं–

- भारत शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है जिसक सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में एक चौथाई से कम अंशदान है लेकिन इसमें ग्रामीण कार्य बल का 70 प्रतिशत से अधिक भाग कार्यरत है।
- लगभग 80 प्रतिशत से अधिक किसानों के पास छोटे और सीमांत खेत (दो हेक्टेयर से कम) हैं और उनमें से अधिकांश जीवन–निर्वाह के लिए खेती करते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में भूमिहीन लोग कृषि श्रम पर निर्भर करते हैं। इनमें से अधिकतर लोग समाज के कमजोर वर्गों के होते हैं जिनकी कृषि को विकसित करने वाले विविध साधनों तक बहुत ही कम पहुंच होती है।

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 07, July 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.21744859

- जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर और साक्षरता के स्तर की कमी अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं जिसने विकास प्रक्रिया को बुरी तरह से प्रभावित किया है।

- औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में विकास की धीमी रफ्तार और गैर कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त श्रम शक्ति को रोजगार देने की असमर्थता, भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों में से एक है।

- इसके साथ ही यदि कोई ट्रिकल डाउन प्रभाव था तो वह केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहा।

भारत में निर्धनता– हमारे देश की नियोजन प्रक्रिया गरीबी उन्मूलन प्रमुख दिशा निर्देशों में से सदैव एक रहा है। लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और उन्हें रहने का एक अच्छा स्तर प्रदान करना, सभी पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य लक्ष्य रहा है। निर्धन व्यक्तियों की पहचान करना और गरीबी में दबे लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं की ओर ध्यान देने वाले विशेष कार्यक्रम शुरू करना, सभी पंचवर्षीय योजनाओं की महत्वपूर्ण विशेषताएं रही हैं। भारत में निर्धनता के बहुआयामी स्वरूप को धीरे–धीरे बेहतर ढंग से समझा है और विशेष रूप से 20वीं शताब्दी के अन्तिम दशक से यह वैश्विक मुद्दा भी बन चुकी है। हरेक देश में जनसमुदाय के कुछ समूह होते हैं जिन्हें अन्य समूहों की तुलना में निर्धन के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। लेकिन निर्धनता आधारित व्याख्यान, निर्धनता के सर्वमान्य स्तरों से सम्बन्धित हैं। अधिकांश देशों ने आय या उपभोग के ऐसे स्तर पर परिभाषित किए हैं जिन्हें एक जीवन स्तर की परिभाषा के संदर्भ में अनिवार्य माना जाता है जिसे समाज ने समुचित परिभाषा के रूप में स्वीकार किया है। विश्व बैंक ने क्रय शक्ति समता के आधार पर निर्धनता का अनुमान लगाया है। पी.पी.पी के अन्तर्गत एक देश से दूसरे देश में पाये जाने वाले मूल्य/लागत सम्बन्धी अन्तर शामिल हैं और इसमें असली उत्पादन और आय आधारित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना भी की जा सकती है। विश्व बैंक ने 1993 की कीमतों पर एक अमेरिकी डालर से कम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग करने वाले को निर्धन के रूप में परिभाषित किया है। इस आधार पर वर्ष 1990 में विश्व आबादी का 29.6 प्रतिशत भाग या 1.3 बिलियन लोग निर्धन थे। वर्ष 1990 से 1999 तक, गरीबी के प्रभाव क्षेत्र में पर्याप्त घटोतरी हुई है। वर्ष 1999 में विश्व की आबादी का 23.2 प्रतिशत भाग या 1.17 बिलियन लोग निर्धन की श्रेणी में थे। दक्षिण एशिया जहां हम सभी रहते हैं विश्व के अधिकांश निर्धन यही बसे हुए हैं। वर्ष 1999 में दक्षिण एशिया की 36.6 प्रतिशत आबादी अर्थात 488 मिलियन लोगों का प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च, प्रतिदिन एक अमेरिकी डालर से कम था। हमारे देश में वर्ष 1999 में 34.7 प्रतिशत लोगों का प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च एक अमेरिकी डालर से कम था।

निर्धनता के मुद्रा सम्बन्धी मापदण्डों में ऐसी कमियों और असमर्थताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता निर्धन वर्ग पीड़ित रहता है। मानव निर्धनता की संकल्पना इसलिए ऐसी बातों पर गहराई से विचार करती है जिन्हें मात्र निर्धन शब्द से व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और कुछ ऐसे अन्य पहलू शामिल हैं जिनका लोगों/गरीबों की जीवन दशाओं पर विशेष प्रभाव है। वर्ष 1990 में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा और रोग उन्मूलन के प्रावधान पर लक्षित विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्वयं को वचनबद्ध किया था। पर्यावरण के स्थायी विकास के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। अक्टूबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के सभी राज्य अध्यक्षों ने गरीबी उन्मूलन, मानव प्रतिष्ठा और समानता के संवर्धन और शान्ति, लोकतंत्र कायम रखने के लिए पर्यावरा सम्बन्धी स्थायी विकास के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया था।

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 07, July 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.21744859

विश्व विकास रिपोर्ट 2004 (विश्व बैंक 2004) ने रोग मुक्त एवं निरक्षरता मुक्त अर्थात इन दो महत्वपूर्ण तरीकों की पहचान की है जिससे निर्धन व्यक्ति गरीबी से बच सकता है। गरीबो को राजनीतिक निर्णन लेने वाली प्रक्रियाओं से बाहर रखा जाता है और उनका तो केवल शोषण होता है और उनके साथ हमेशा भेदभाव किया जाता है। उनमें दमनकारी शक्तियों से जूझने की ताकत नहीं होती। इसलिए ऐसी स्थायी गरीबी के उन्मूलन के लिए यदि कोई कार्यनीति बनाई जाती है तो उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर ऐसी कार्यनीति का निर्माण किया जाना चाहिए। आय या उपभोग मात्र प्रावधान से गरीबों की शोचनीय दशा पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि उनका सामाजिक एवं आर्थिक शोषण निरन्तर होता रहेगा। सरकारों ने निर्धनता की इस बहु आयामी प्रकृति को पहचाना है। भारत में राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार ने निर्धन वर्ग को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए धनराशि को बढ़ाया है। गरीबों के कल्याण को बढ़ाने में शिक्षा की अहम भूमिका है इसलिए हमारे देश में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का रूप दिया है। वर्ष 2001 में प्रारम्भ सर्वशिक्षा अभियान इस बात का संकेत है कि निर्धनता के अन्य आयामों को भी, निर्धनता के मुद्रा सम्बन्धी मापदण्ड की ही भांति समान रूप से महत्वपूर्ण माना गया है।

गरीबी की रेखा ऐसी रेखा है जो गरीब के ऊपर से और अमीर के नीचे से निकलती है। यह परिभाषा किसी भी मायने में सैद्धान्तिक न हो परन्तु व्यावहारिक और जमीनी परिभाषा इससे अलग नही हो सकती है। वास्तव में गरीबी की रेखा के जरिये राज्य ऐसे लोगों के चयन की औपचारिकता पूरी करता है जो इससे ज्यादा अभाव में जी रहे हैं कि उन्हें रोज खाना नहीं मिलता है, रोजगार का मुद्दा तो सट्टे जैसा है, नाम मात्र को छप्पर मौजूद हैं या नहीं, कपड़ों के नाम पर कुछ चीथड़े वे लपेटे रहते हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें विकास की प्रक्रिया में घोषित रूप से सबसे बड़ी बाधा माना जाने लगा है। हालाँकि विकास का यह एक अहम् मापदण्ड भी है कि लोगों को गरीबी के दायरे से बाहर निकाला जाये इस दुविधा की स्थिति में लगातार संसाधन झोंके जाते हैं। दो दशकों में ग्रामीणों पर इस काम के लिए 45 हजार करोड़ रूपये व्यय किये गये हैं। परन्तु अध्ययन बताते हैं कि निर्धारित लक्ष्यों का 20 प्रतिशत हिस्सा ही हासिल किया जा सका है।

राज्य में रहने वाले विपन्न तबके की उन्नति के उद्देश्य से हर पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का सर्वेक्षण (बीपीएल सर्वे) कराया जाता रहा है। इस सर्वे के मूलतः दो व्यावहारिक उद्देश्य होते हैं। एक विगत पाँच वर्षों में राज्य में कितनी गरीबी कम हुई है? कौन अब गरीब नहीं रहा और कौन हैं जिनके नाम इस सूची में नये सिरे से जोड़े जाने हैं। यह सूची बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि इसी के आधार पर गरीब और आर्थिक रूप से अति कमजोर लोगों, निराश्रितों, वृद्धों और विधवा महिलाओं को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। वर्तमान में 12 योजनायें ऐसी हैं जो बीपीएल परिवार को ध्यान में रखकर ही संचालित की जा रही हैं जबकि 9 जनकल्याणकारी कार्यक्रम उनके हितों की रक्षा के लिए संचालित हो रहे हैं।

विकासशील देशों में गरीबों का प्रतिशत विश्व बैंक द्वारा बिना किसी सर्वे के तय कर दिया जाता है। वह सम्बन्धित देश में कोई अध्ययन नहीं करता है। उसके अनुसार एक डालर प्रतिदिन से कम अर्जित

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 07, July 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.21744859

करने वाला परिवार गरीबी की श्रेणी में आता है, इससे ज्यादा आय अर्जित करने वाला व्यक्ति अमीर होगा। कई अनुभवों से यह पता चलने के बावजूद कि 2 से 5 डालर प्रतिदिन में भी जीवन की बुनियादी जरूरतें पूर्ण नहीं हो सकती हैं, विश्व बैंक के मापदण्ड नहीं बदले हैं। मानव विकास प्रतिवेदन की अवधारणा लाने वाला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानता है कि आय के साथ बुनियादी शिक्षा, लोक संसाधनों तक पहुँच का अभाव और आय का मापदण्ड गरीबी को मापने के लिए जरूरी है।

गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों की पहचान ठीक से नहीं की जा रही है और इसके लिए मापदण्ड न तो एक से है न ही स्पष्ट है। इस शिकायत के मद्देनजर राज्य और केन्द्र सरकार को निर्देशित किया गया है कि वे प्रकरण को स्पष्ट करें तथा बीपीएल परिवारों की निष्पक्ष और प्रभावशाली पहचान के लिए नीति बनायें। **प्रो0 एम0 रीन** लिखते हैं कि ''लोगों को इतना गरीब नहीं होने देना चाहिए कि उनसे घिन आने लगे या वे समाज के नुकसान पहुँचाने लगें। इस नजरिये से गरीबों के कष्ट और दुःखों का नहीं बल्कि समाज की असुविधाओं और लागतों का महत्व अधिक प्रतीत होता है। गरीबी की समस्या उसी सीमा तक चिन्तनीय है जहाँ तक कि उसके कारण, जो गरीब नहीं हों, उन्हे भी समस्यायें भुगतनी पड़ती हों।''

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम– निर्धनता का सम्बन्ध न केवल रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी समस्याओं से है बल्कि इसका सम्बन्ध जीवन निर्वाह सम्बन्धी दशाओं से भी है जिसका प्रभाव सीधे तौर पर जीवन के स्तर पर पड़ता है। अतः आर्थिक और मानवीय विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और निर्धनता के दोनों घटकों को एक साथ विकसित किए बिना, गरीबी उन्मूलन का कोई भी प्रयास लम्बे समस तक नहीं चलाया जा सकता। इसमें विकास के बुनियादी उद्देश्यों अर्थात सामाजिक न्याय के साथ होने वाली वृद्धि का भी ध्यान रखा जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों के रूप में विभिन्न प्रकार के प्रयासों की शुरूआत प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्रारम्भ की गई। प्रारम्भिक चरण में यह माना गया कि 'ट्रिकल डाउन प्रभाव' के कारण तीव्र आर्थिक वृद्धि स्वतः ही लोगों के विभिन्न वर्गों तक पहुंच जायेगी ओर यह भी माना गया कि यदि सामुदायकि विकास कार्यक्रम, भूमि सुधार, विशेष कृषि विकास कार्यक्रम, सहकारी समितियों आदि को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि तेज करने का यह बेहतर तरीका होगा।

पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इन कार्यक्रमों की समीक्षा से पता चला कि जहां एक ओर कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सफल हुए हैं वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने की दशाओं को बेहतर बनाने के लिए सामाजिक सेवाओं में सुधार की आवश्यकता है। इसी आधार पर सामान्य रूप से ग्रामीण आबादी और विशेष रूप से निर्धन लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता की संकल्पना को विकसित किया गया और इसके साथ ही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को ग्राम विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में देखा गया।

ग्रामीण स्वास्थ्य– प्राथमिक स्वास्थ्य देशभाल का बुनियादी लक्ष्य सभी को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना है और निर्धारित अवधि में इसे प्राप्त करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए और अनेक बार उनमें परिवर्तन किया गया। नवीनतम लक्ष्य के अनुसार वर्ष 2000 तक सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 07, July 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.21744859

और इसके अलावा रोग निवारक और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया और इसके अलावा रोग निवारक और संवर्धनात्मक स्वास्थ्य देखभाल पर विशेष जोर दिया गया।

जवाहर रोजगार योजना– भारत मूलतः कृषि प्रधान देश है क्योंकि इसकी दो तिहाई से भी अधिक ग्रामीण आबादी सीधे–सीधे कृषि पर निर्भर है। लेकिन भूमि का वितरण विषम है। लगभग 78 फीसदी कृषक छोटे और सीमांत किसान हैं जिनमें प्रत्येक के पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। इनमें से 31.15 फीसदी किसानों के पास 0.2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है और 11.25 फीसदी लगभग भूमिहीन किसान हैं। (1990–91 की कृषि गणना)। इनमें अधिकतर लोगों का मुख्य रोजगार स्रोत कृषि मजदूरी है। कृषि मजदूरी केवल कृषि गतिविधियों के समय अर्थात एक वर्ष में 90 से 120 दिन तक ही मिल पाती है। मंदी के समय में इनमें से अधिकांश लोगों के पास या तो अल्प रोजगार होता है या वे बेरोजगार ही रहते हैं। हमारी बढ़ती आबादी उच्च दर से श्रमिकों की संख्या को बढ़ा रही है और निरन्तर बढ़ती कामकाजी आबादी के लिए रोजगार सृजित करना बहुत ही कठिन कार्य है।

ग्रामीण बेरोजगारों को चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है– साक्षर और कुशल, साक्षर और अकुशल, निरक्षर और कुशल तथा निरक्षर और अकुशल। अधिकांश ग्रामीण बेरोजगार चौथी श्रेणी से सम्बन्धित हैं और ये लोग केवल शारीरिक श्रम के बल पर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिए इस श्रेणी के लोगों में अत्यधिक गरीबी पाई जाती है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए और इन लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने पहली बार 1969 में प्रायोगिक आधार पर कुछ चयनित जिलों में क्रैश ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू किया था जिसे बाद में कुछ ऐसे और जिलों में भी शुरू किया गया और जहां पर कृषि श्रमिकों को आबादी तुलनात्मक दृष्टि से अधिक थी। 1973–74 में एक बार बेरोजगारी की समस्या से गंभीर रूप से प्रभावित इलाकों में प्रायोगिक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को शुरू किया गया।

जवाहर रोजगार योजना के उद्देश्य– जवाहर रोजगार योजना को मजदूरी रोजगार के अवसरों को सभी गांवों तक पहुंचाने और मजदूरी ढूंढने वाले सभी लोगों को गांवों के आसपास ही रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। अतः इसे लागू करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंपी गई थी। जवाहर रोजगार योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारों और अल्प रोजगार में लगे लोगों के लिए अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार के अवसर सृजित करना था। जवाहार रोजगार योजना के द्वितीयक उद्देश्य थे–

- गरीबों के प्रत्यक्ष और सतत् लाभ के लिए उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना और ग्रामीण आर्थिक एवं सामाजिक आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाना जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हो सके और जिसके फलस्वरूप गरीबों की आय में वृद्धि हो।
- ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के हर क्षेत्र में सुधार हो।

जवाहर रोजगार योजना की मुख्य विशेषताएँ– जवाहार रोजगार योजना एन.आर.ई.पी. और आर.एल.ई.जी. पी. दो मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों का मिला–जुला नवीन रूप है और इसके उद्देश्य लगभग समान हैं। लेकिन इसके नियोजन और कार्यान्वयन में कुछ अन्तर है। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है–

© www.researchwork.ijarms.org

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 07, July 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.21744859

- इस कार्यक्रम के लिए व्यय में केन्द्र और राज्य सकरार की भागीदारी 80:20 के अनुपात में थी।
- डी.आर.डी.ए./जिला परिषद को जिला स्तर पर और ग्राम पंचायतों को ग्राम स्तर पर इन्हें लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। डी.आर.डी.ए/जिला परिषद को सीधे–सीधे धनराशि प्रदान की गई।
- जवाहार रोजगार योजना का 6 फीसदी हिस्सा इंदिरा आवास योजना के लिए अलग से रखा गया। शेष राशि से 20 फीसदी जिला स्तर पर अन्तर ब्लाक/अंतर जिला परियोजनाओं पर खर्च किया जाना था और 80 फीसदी को ग्राम पंचायतों में बांटा जाना था।
- काम को गांव के लोगों द्वारा किया जाना था और जैसे कि एन.आर.ई.पी. और आर.एल.ई.जी.पी. था, ठेकेदारों को किसी भी काम में शामिल करने की पूरी तरह पाबंदी थी।
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो को प्राथमिकता दी गई।
- महिलाओं के लिए 30 फीसदी तक रोजगार के अवसर आरक्षित किए गए थे।
- मजदूरी के रूप में खाद्यान्न को सस्ती दरों पर दिया जाना था।
- गैर मजदूरी घटक अथवा सामग्री घटक को कुल परियोजना लागत के 50 फीसदी से अधिक तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान नहीं की गई।
- वार्षिक आबंटन का अधिकतम 5 फीसदी भाग प्रशासनिक व्ययों पर खर्च किया जा सकता था और इसका 1/5 भाग जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन से जुड़े कर्मचारियों/गैर–कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर खर्च किया जा सकता था।
- डीआरडीए/जिला परिषद और ग्राम पंचायतों को आवंटित कुल राशि का 10 फीसदी भाग पहले के कार्यक्रमों (एन.आर.ई.पी./आर.एल.ई.जी.पी.) द्वारा सृजित परिसंम्पत्तियों के रखरखाव पर खर्च किया जा सकता था।

निष्कर्ष :– निष्कर्ष के रूप में कौशल विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उपलब्ध प्रशिक्षण विकल्पों से सम्बन्धित समस्त जानकारी का व्यापक प्रचार प्रसार हो। विद्यालयों, महाविद्यालयों में सरकारी स्तर पर चल रहे रोजगार केन्द्रों द्वारा इस ओर कार्य किया जा सकता है। ये समय–समय पर कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रकृति, उपलब्धता, पंजीयन प्रक्रिया, क्षमता आदि सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराए। रोजगार केन्द्र एक निर्दशन एवं परामर्श केन्द्र के रूप में भी विद्यार्थियों को अपनी अभिक्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम या कोर्स का चुनाव करने में उपयोगी हो सकते हैं। इसके लिए विशेषज्ञों की सेवाएं अंशकालीन स्तर पर ली जा सकती हैं। निजी भागीदारी प्रबन्धन, संचालन तक सीमित न होकर प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया में भी अपनी विशेषज्ञता उपलब्ध कराएं। सघन प्रशिक्षण को रोजगार प्राप्ति से जोड़ने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्लेसमेंट की प्रक्रिया से प्रशिक्षकों, संस्थाओं को भी जोड़ा जा सकता है। इसके लिए प्लेसमेंट बढ़ने पर प्रोत्साहन के मानदण्ड निर्धारित कर सकते हैं। संस्थाएं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन रजिस्टर में आँकड़े दर्ज करने तक सीमित न रखे इसके लिए संस्था का समयवद्ध मूल्यांकन, प्रमाणीकरण भी आवश्यक है। एक बार किसी संस्था को वित्तीय स्वीकृति मिल जाती है, उसके बाद भी निर्धारित मानकों पर सतत् मूल्यांकन होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण कौशल द्वारा रोजगार प्राप्ति बढ़ाने

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 07, July 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.21744859

वाले प्रशिक्षकों, संस्थाओं को भी आर्थिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। प्रशिक्षुओं से कौशल विकास कार्यक्रमों, संस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया जा सकता है। प्रशिक्षण प्रदान करने में पूर्व प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन होना एवं प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् सीखे गए कौशल का मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। कौशल विकास कार्यक्रमों में प्रदान किए जाने वाले कौशलों का निर्धारण वर्तमान आवश्यकताओं के साथ–साथ भविष्य की सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर भी किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि युवा किसी विशेष कौशल को सीखकर निकले, उसके बाद बदलती परिस्थितियों, तकनीक, नवाचार आदि के कारण सिखाए गए कौशल की उपयोगिता खत्म हो जाए। इसीलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की डिजाइन पर नीति निर्धारकों का गहन चिंतन आवश्यक है। प्रयास के साथ कौशल में वृद्धि करने से सफलता मिलती है। सरकार के हाल के प्रयासों के कारण कौशल विकास के कार्यक्रम ने 'आन्दोलन' का रूप धर लिया है। सरकार के इन प्रयासों के फल मिलने में कुछ समय लग सकता है किन्तु भविष्य में 'कुशल भारत देश को प्रसन्न, स्वस्थ एवं सम्पन्न अर्थात् कौशल भारत होने की दिशा में ले जायेगा और इस तरह कुशल भारत कौशल भारत का नारा चरितार्थ हो जायेगा।

संदर्भ सूची–

1. चौथी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज, योजना आयोग, भारत सरकार।

2. छठीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज, योजना आयोग, भारत सरकार।

3. वार्षिक रिपोर्ट, ग्राम विकास मंत्रालय (1980, 1985ए 1990ए 1995ए 2000)

4. वर्मा, एस.सी. डायरेक्ट अटैच ऑन पावर्टी, ग्राम विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 1981

5. भारत में ग्राम विकास के पचास वर्ष (सम्पादित) एन.आई.आर.डी., हैदराबाद, 1998।

6. एम्पलायमेंट ग्रोथ एंड बेसिक नीड्सः ए वन वर्ल्ड प्रोब्लम्स (आईएलओ के महानिदेशक की रिपोर्ट), 1977 अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जेनेवा।

7. बंधोपाध्याय, डी. 1986 : ए स्टडी ऑन पावर्टी एलिवेशन इन रूरल इंडिया थ्रू स्पेशल एम्पलायमेंट जेनरेशन प्रोग्राम्स, एशिया एम्पलायमेंट प्रोग्राम, आईएलओ एआरटीईपी, नई दिल्ली।

8. चक्रवर्ती, सुखमोय, 1987, डेवलपमेंट प्लानिंग : द इंडियन एक्सपीरियेंस, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।

9. सुब्बाराव, के., 1985 ''रिजनल वैरियेशंस इन इम्पैक्ट ऑफ एंटी पावर्टी प्रोग्राम्य– ए रिव्यू ऑफ एविडेंस'' इन इकोनामिक एंड पालिटिकल वीकली, 26, खण्ड–21।

10. नेशनल कमीशन ऑन सेल्फ एम्प्लायड वूमेन एण्ड वूमेन इन द इनफारमल सेक्टरः श्रमशक्ति, नई दिल्ली।

11. आईआरडीपी एण्ड ट्राइसेम डवाकराः ए मैनुअल, 1988, ग्राम विकास विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

12. ग्रामीण सांख्यिकी, 1990, 1995, 2001, एनआईआरडी, हैदराबाद।

13. राजकुट्टी, एस. 2004, सेल्फ एंड वेज एम्प्लायमेन्ट प्रोग्राम्स फार पॉवर्टी एलिवेशन इन इण्डिया, जर्नल रूरल डेवलपमेंट वाल्यूम 23, नं0 2, 2004।

14. इवाल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, 2011, सर्वशिक्षा अभियान के सन्दर्भ में मूल्यांकन, लघु शोध प्रबन्ध, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

20. योजना आयोग, 2000, नवी पंचवर्षीय योजना 1997–2000 का मध्यावधि मूल्यांकन, भारत सरकार, अक्टूबर 2002, नई दिल्ली।